भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 378*
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों की गुणवत्ता

*378 श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में आयुष औषधियों और उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई तंत्र तैयार करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो विशेषत: महाराष्ट्र और बिहार में आयुष औषधियों/उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के प्रयासों के साथ-साथ आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(घ) उपभोक्ताओं द्वारा आयुष औषधियों और उत्पादों के व्यापक उपयोग के लिए गुणवत्तायुक्त आयुष औषधियों और उत्पादों को बढ़ावा देने की सरकार की क्या योजना है: और
(ङ) क्या विभिन्न आयुष औषधियों के विनिर्माण में कोई कमी देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 378* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हां। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के लिए विशिष्ट विनियामक प्रावधान किए गए हैं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों से संबंधित प्रावधान, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय-IVक और अनुसूची-I में तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 151 से 169, अनुसूची ङ(I), न तथा नक में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची (4क) में होम्योपैथिक औषधियों के लिए मानक दिए गए हैं और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 2-घघ, 30-कक, 67 (ग-ज), 85 (क से झ), 106-क, अनुसूची-ट, अनुसूची-ड-1 होम्योपैथिक औषधियों से संबंधित हैं। विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे विनिर्माण इकाइयों और औषधियों के लाइसेंस के लिए निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-न और अनुसूची-ड-1 के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिता में दी गई औषधियों के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन शामिल है।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। पीसीआईएम एंड एच आयुष मंत्रालय की ओर से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के फॉर्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक विकसित करता है जो एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और ताकत) सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, भारत में विनिर्मित एएसयू एंड एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। अब तक, एएसयू एवं एच औषधियों में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों (पादप/पशु/खनिज/धातु/रासायनिक मूल की एकल औषधियां) पर 2259 गुणवत्ता मानक, एएसयू फार्मूलेशनों के 405 गुणवत्ता मानक और एएसयू औषधियों के 2666 फार्मूलरी विनिर्देश प्रकाशित किए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (एपीआई) में शामिल 351 एकल औषधियों पर मैक्रो-माइक्रोस्कोपिक और टीएलसी एटलस के रूप में सहायक दस्तावेज भी प्रकाशित किए गए हैं। विवरण **संलग्नक-I** में उपलब्ध हैं।

पीसीआईएम एंड एच, एएसयू एंड एच औषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह एएसयू एवं एच औषधियों के मानकीकरण/गुणवत्ता नियंत्रण/परीक्षण अथवा विश्लेषण के लिए औषधि विनियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं (औषधि विश्लेषक) और अन्य हितधारकों को एएसयू एवं एच औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रयोगशाला तकनीकों और पद्धतियों पर एएसयू एवं एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में नियमित अंतराल पर क्षमता वर्धन प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160-क से ञ में आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और ताकत के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन हेतु विनियामक दिशानिर्देश दिए गए हैं जो इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारक की ओर से अपेक्षित होते हैं। आज की स्थिति के अनुसार, 34 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनके बुनियादी ढांचे और कार्यात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी गई है। इसके अलावा, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों तथा कच्ची सामग्रियों की गुणवत्ता जांच के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत 106 प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है अथवा लाइसेंस दिया गया है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा https://ayush.gov.in/images/domains/quality_standards/StateDrugTestingLaboratoryASUHEng. और https://ayush.gov.in/images/domains/quality_standards/ListofAyurvedaSiddhaUnani.pdf. पर उपलब्ध है।

महाराष्ट्र तथा बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयुष औषधियों/उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के साथ-साथ देश में आयुष औषधियों और उत्पादों

के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे का समाधान करने के लिए कार्यतंत्र का ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): भारत सरकार ने वैज्ञानिक तर्ज पर आयुष पद्धति में अनुसंधान करने, उसके समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन के लिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष संगठनों के रूप में केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। प्रमुख अनुसंधान गतिविधियों में, औषधीय पादप अनुसंधान (मेडिको-एथनो बॉटेनिकल सर्वे, फार्माकोग्नोसी और इनविट्रो-प्रोपेगेशन तकनीक), औषधि मानकीकरण, फार्माकोलॉजिकल अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं प्रलेखन और आदिवासी स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसंधान कार्यकलाप देश भर में स्थित इसके बाह्य संस्थानों/इकाइयों के माध्यम से तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थानों के सहयोग से भी किए जाते हैं।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान योजना के नाम से एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 03 घटक हैं, अर्थात (i) आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) (ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुष में अनुसंधान और नवाचार और iii) आयुर्वेद जैविकीय एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान जिसे इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 से इस योजना में जोड़ा गया है। आयुष में अनुसंधान और नवाचार तथा आयुर्वेद जैविकीय एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटक के तहत, आयुष पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु संगठनों/संस्थानों को अनुसंधान अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

आयुष पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, आयुष मंत्रालय ने आयुष सहित पारंपरिक औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक, मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 46 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ): आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित की है। इस योजना हेतु पांच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नानुसार हैं -

क. उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच औषधियों की भेषजसतर्कता।

ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रमों सहित केन्द्रीय और राज्य विनियामक ढांचों का सुदृढ़ीकरण।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और मान्यकरण/प्रमाणन के लिए सहायता। एओजीयूएसवाई योजना के विस्तृत दिशानिर्देश https://ayush.gov.in/images/Schemes/aoushdhi.pdf पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्न प्रकार से प्रमाणन को प्रोत्साहित करता है:-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार भेषज उत्पाद प्रमाणन (सीओपीपी) की योजना का आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधियों तक विस्तार किया गया है। यह योजना केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा प्रशासित है और सीडीएससीओ, आयुष मंत्रालय और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदक विनिर्माण इकाई के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्रमाणन प्रदान किया जाता है।
- गुणवत्ता प्रमाणन योजना जिसे भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता के तृतीय पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर आयुष चिह्न प्रदान करने के लिए लागू किया गया है।

(ङ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न आयुष दवाओं के विनिर्माण में पाई गई कमियों का ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (एपीआई) में शामिल एएसयू एंड एच औषधियों में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर गुणवत्ता मानकों का विवरण, एएसयू फार्मुलेशनों के गुणवत्ता मानक, एएसयू औषधियों के फार्मूलरी विनिर्देश और एकल औषधियों पर मैक्रो-माइक्रोस्कोपिक और टीएलसी एटलस निम्नानुसार हैं-

प्रकाशन	भाग	खंड एवं वर्ष	मोनोग्राफ की संख्या
भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता	भाग I (एकल औषधि)	खंड I, 1986	80
		खंड II, 1999	78
		खंड III, 2001	100
		खंड IV, 2004	68
		खंड V, 2006	92
		खंड VI, 2008	101
		खंड VII, 2008 (खनिज और धातु)	21
		खंड VIII, 2011 (हाइड्रो-अल्कोहोलिक एवं जल अर्क)	60
		खंड IX, 2016 (हाइड्रो-अल्कोहोलिक एवं जल अर्क)	45
		खंड VI, 2022 (खनिज और धातु)	20
	कुल		**665**
	भाग II (फार्मुलेशन)	खंड I, 2007 खंड I, 2011 (हिंदी संस्क.)	50
		खंड II, 2008 खंड II, 2011 (हिंदी संस्क.)	51
		खंड III, 2010	51
		खंड IV, 2017	50
		आयुष क्वाथ चूर्ण (एकल) का भेषजसंहिता मोनोग्राफ 2021	01
		कुल	**203**
सहायक भेषजसंहिता प्रकाशन	थिन लेयर क्रैमेटोग्राफी (टीएलसी) एटलस	एपीआई औषधि भाग I, खंड I, 2009	80
		एपीआई औषधि भाग I, खंड III, 2016	99
	मैक्रोस्कोपी एवं माइक्रोस्कोपी एटलस	एपीआई औषधि भाग I खंड V, 2009	92
		एपीआई औषधि भाग I खंड I, 2011	80

प्रकाशन	भाग एवं वर्ष	फार्मुलेशनों की संख्या
भारतीय आयुर्वेदिक फार्मुलरी	भाग I, 2003 (द्वितीय संस्करण)	444
	भाग II, 2000	191
	भाग III, 2011 (द्विभाषी)	350

	आयुष क्वाथ चूर्ण (एकल) का फार्मुलरी विनिर्देश 2021	01
	भाग IV, 2022 (पशुचिकित्सा)	50
कुल		**1036**

सिद्ध भेषजसंहिता प्रकाशन

प्रकाशन	भाग	खंड एवं वर्ष	मोनोग्राफ की संख्या
भारतीय सिद्ध भेषजसंहिता	भाग I (एकल औषधि)	खंड I, 2008	73
		खंड II, 2011	66
		कुल	**139**
	भाग II (फार्मुलरियां)	आयुष कुटिनीर चूर्णम (एकल) का भेषजसंहिता मोनोग्राफ	01

प्रकाशन	भाग एवं वर्ष	फार्मुलरियों की संख्या
भारतीय सिद्ध फार्मुलरी	भाग I (तमिल), 1984 भाग I (अंग्रेजी), 1992	248
	भाग II (तमिल), 2011	151
	आयुष कुटिनीर चूर्णम (एकल) का फार्मुलरी विनिर्देश	01
	कुल	**400**

यूनानी भेषजसंहिता प्रकाशन

प्रकाशन	भाग	खंड एवं वर्ष	मोनोग्राफ की संख्या
भारतीय यूनानी भेषजसंहिता	भाग I (एकल औषधि)	खंड I, 2007	45
		खंड II, 2007	50
		खंड III, 2007	53
		खंड IV, 2007	50
		खंड V, 2008	52
		खंड VI, 2009	48
		खंड VII, 2022	40
	कुल		**338**

प्रकाशन	भाग	खंड एवं वर्ष	मोनोग्राफ की संख्या
भारतीय यूनानी भेषजसंहिता	भाग II (फार्मुलरियां)	खंड I, 2009	50
		खंड II, 2010	50
		खंड III, 2016	50
		खंड IV, 2019	50
		आयुष सफूफ-ए-जोशांदा (एकल) का भेषजसंहिता मोनोग्राफ	01
		कुल	**201**

प्रकाशन	भाग एवं वर्ष	औषधयोगों की संख्या
	भाग I, 1984	441
	भाग II, 1994	202

राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा फार्मुलरी	भाग III, 2001	103
	भाग IV, 2006	166
	भाग V, 2008	178
	भाग VI, 2011	139
	आयुष सफूफ-ए-जोशांदा (एकल) के फार्मुलरी विनिर्देश	01
	कुल	**1230**

होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रकाशन

प्रकाशन	खंड एवं वर्ष	मोनोग्राफ की संख्या
भारतीय होम्योपैथी भेषजसंहिता	खंड I, 1971	180
	खंड II, 1974	100
	खंड III, 1978	105
	खंड IV, 1984	107
	खंड V, 1987	114
	खंड VI, 1990	104
	खंड VII, 1999	105
	खंड VIII, 2000	101
	खंड IX, 2006	100
	खंड X, 2016	101
	कुल	**1,117**

आयुष औषधियों/उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों के साथ आयुष औषधियों और उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे का समाधान करने के लिए कार्यतंत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ब्यौरा
1.	राजस्थान	औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि विनिर्माण फर्मों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। नमूने एकत्र किए जाते हैं और अनुमोदित प्रयोगशालाओं में सरकारी परीक्षण किया जाता है।
2.	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में 23 औषधि निरीक्षक उपलब्ध हैं। सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वे 01.03.2015 से प्रति माह न्यूनतम 08 वैधानिक नमूने लें और इसे परीक्षण के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आईएम) को भेजें। इन नमूनों का परीक्षण संबंधित भेषजसंहिता के अनुसार किया जाता है। घोषित नकली/गलत ब्रांडेड/मिलावटी औषधियों के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 की धारा 33-झ और 33-ञ तथा नियम 159 के अनुसार कार्रवाई की गई है।
3.	कर्नाटक	तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें द्रव्यगुण और रसशास्त्र के क्षेत्र के विशेषज्ञ और औषध नियामक प्राधिकारी शामिल हैं। तकनीकी विशेषज्ञ समिति हर 21 दिनों में बुलाई जाती है और पेटेंट और मालिकाना ड्रग मास्टर फॉर्मूलों को नियम 158-ख, नियम 161-ख और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 169 के अनुसार सुरक्षा अध्ययन, प्रभावशीलता और स्थिरता अध्ययन के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है।
4.	केरल	केरल सरकार ने आयुर्वेद औषधि मानकीकरण के संबंध में विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। केरल सरकार के आयुष विभाग के सचिव उस समिति के अध्यक्ष हैं जिसमें उप औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद) संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। राज्य सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री की खेती, एकत्रण और भंडारण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। उप औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद) समिति के अध्यक्ष हैं।
5.	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की गुणवत्ता और उत्पादन की जांच के लिए राज्य में 14 औषधि नियंत्रकों को नामित किया। आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए उत्तराखंड में 06 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं जिनमें 01 सरकारी और आयुष मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र में 05 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं अनुमोदित हैं, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के नियम 160-क से 160-ञ के तहत

		स्वीकृत हैं।
6.	ओडिशा	औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण और मानकीकरण के मुद्दे के समाधान के लिए राज्य में भुवनेश्वर में एक राज्य औषधि परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला (आईएसएम) काम कर रही है। आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माण का पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य में औषधि निरीक्षक हैं ताकि इन दवाओं/उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
7.	महाराष्ट्र	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 के उपबंधों के अनुसार औषधियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं: 1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेदिक विनिर्माताओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। अनुसूची-न के अनुसार जीएमपी अनुपालन की जांच की जाती है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 2. आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माताओं और वितरकों से आयुर्वेदिक औषधियों के नमूने लिए जाते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जाती है।
8.	हिमाचल प्रदेश	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता है।
9.	मिजोरम	मिजोरम सरकार के पास एएसयू एंड एच औषधियों के नमूने और गुणवत्ता परीक्षण की जांच के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है।
10.	दिल्ली	आयुष दवाओं/उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नेमी निरीक्षण और नमूनों की जांच की जाती है।
11.	छत्तीसगढ़	आयुष औषधियों/उत्पादों का मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता के अनुसार किया जाता है।
12.	पुदुचेरी	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के अध्याय XIX के नियम 168 के अनुसार।
13.	अरुणाचल प्रदेश	आयुष औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आयुष डीटीएल की स्थापना की गई है।
14.	जम्मू तथा कश्मीर	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू तथा कश्मीर में आयुष औषधियों और उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक आयुष औषधि फार्मेसी और एक आयुष औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की परिकल्पना की गई है।
15.	बिहार	विभाग औषधि नियम 158ख-(1)(क)एवं(ख),(11)(क)एवं(ख),(111),(iv) तथा (v) में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करता है। राज्य सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी दवाओं की जांच तथा विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक और प्रयोगशालाओं को भी अधिसूचित किया है।

16.	मणिपुर	औषधि अनुभाग के अधिकारी स्थानीय बाजारों में बेची जा रही आयुष औषधियों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं।
17.	गोवा	शून्य
18.	असम	शून्य
19.	गुजरात	शून्य

संलग्नक-III

विभिन्न आयुष दवाओं के विनिर्माण में पाई गई कमियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**पाई गई कमी का विवरण**
1	महाराष्ट्र	देश में दिनांक 01.04.2023 से 31.11.2024 तक मिलावटी आयुर्वेद औषधियां बेचने वाली अभिचिन्हित आयुष कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण निम्नप्रकार है:- **1. अवधि - 01/04/2023 से 31/03/2024 तक** • एकत्र किए गए आयुर्वेदिक नमूने -761 • जांच किए गए आयुर्वेदिक नमूने - 476 • एनएसक्यू घोषित नमूनों की संख्या - 08 **2. अवधि - 01/04/2024 से 31/11/2024 तक** • एकत्र किए गए आयुर्वेदिक नमूने -569 • जांच किए गए आयुर्वेदिक नमूने -327 • एनएसक्यू घोषित नमूनों की संख्या -86
2	राजस्थान	आयुष औषधियों के नमूनों का परीक्षण किया गया और यदि इन औषधियों के विनिर्माण में कमी पाई गई है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
3	तमिलनाडु	शून्य
4	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू तथा कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कोई पृथक आयुष औषधि नियंत्रण प्राधिकरण नहीं है जो विभिन्न आयुष दवाओं के विनिर्माण में किसी कमी की निगरानी कर सके।
5	बिहार	क्रमशः अनुसूची-न तथा ड-1 अर्थात उत्तम विनिर्माण पद्धति में उल्लिखित प्रावधानों के तहत आयुष औषधियों के विनिर्माण में कमी देखी गई है। दवाओं की जब्ती, कारण बताओ नोटिस जारी करना, विनिर्माण लाइसेंस रद्द करना जैसी कार्रवाई की गई है।
6	पुदुचेरी	शून्य
7	गोवा	शून्य
8	मिजोरम	शून्य
9	केरल	शून्य
10	कर्नाटक	शून्य
11	दिल्ली	शून्य
12	गुजरात	शून्य
13	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
14	ओडिशा	शून्य